"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]　　रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2002—अग्रहायण 8, शक 1924

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2002

क्रमांक 2691/2297/2002/1/2.—डॉ. इंदिरा मिश्रा, भा.प्र.से., (1969), अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ समन्वयक, महिला कल्याण कार्यक्रम का कार्य अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है. डॉ. मिश्रा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित महिलाओं के सामाजिक/आर्थिक विकास कार्यक्रमों तथा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों हेतु समन्वयक का कार्य करेंगी. वे आवश्यकतानुसार संबंधित विभागों के माननीय मंत्रीगणों के परामर्श करेंगी. महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण कार्यक्रमों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर वे मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ को अवगत कराएंगी.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2002

क्रमांक 2689/2255/2002/एक/2.—श्री आर. एस. विश्वकर्मा, भा.प्र.से. (1991) जिन्हें इस विभाग के आदेश क्रमांक 2636/2255/2002/एक/2, दिनांक 23-10-2002 द्वारा संयुक्त सचिव, मंत्रालय, पदस्थ किया गया था, को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना तथा गृह (विमानन) विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्रीमती ऋचा शर्मा, भा.प्र.से. (1994) को इस विभाग के आदेश क्रमांक 2636/2255/2002/एक/2, दिनांक 23-10-2002 द्वारा सचिव, महामहिम राज्यपाल के पद पर पदस्थ किया गया था. उक्त आदेश में संशोधन कर आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से श्रीमती ऋचा शर्मा को उप-सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय तथा सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2002

क्रमांक 2729/2297/2002/1/2.—श्रीमती ऋचा शर्मा, भा.प्र.से. (1994) उप-सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के अतिरिक्त उप-सचिव, शिक्षा एवं आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. शिक्षा एवं आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग में श्रीमती ऋचा शर्मा, शासकीय सी.बी.एस.ई. स्कूलों की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण का कार्य करेंगी.

रायपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2002

क्रमांक 2754/2236/2002/2/एक.—श्री आर. एस. विश्वकर्मा, भा. प्र. से. (1991) संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना तथा गृह (विमानन) विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ संचालक, विमानन का अतिरिक्त कार्य सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर दिनांक 12 नवम्बर 2002

क्रमांक 2728/2304/साप्रवि/2002/1/2/लीव.—श्री आई. सी. पी. केसरी, कलेक्टर दुर्ग, को दिनांक 18-11-2002 से 26-11-2002 (9) दिन तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही दिनांक 16-11-2002 एवं 17-11-2002 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. श्री केसरी कलेक्टर, दुर्ग को अवकाश काल में अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि श्री केसरी यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

4. अवकाश से लौटने पर श्री केसरी को कलेक्टर, दुर्ग के पद पर अस्थाई रूप से पुनः पदस्थ किया जाता है.

5. श्री केसरी के अवकाश काल में श्री दिनेश श्रीवास्तव कलेक्टर, राजनांदगाव अपने कार्य के साथ-साथ कलेक्टर, दुर्ग का कार्य भी संपादित करेंगे.

रायपुर दिनांक 15 नवम्बर 2002

क्रमांक 2758/2296/साप्रवि/2002/1/2/आई. ए. एस./लीव.—श्री अमित अग्रवाल, संयुक्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, बॉयोटेक्नोलॉजी एवं मुख्य कार्यपालन, अधिकारी, चिप्स को दिनांक 21 नवम्बर, 2002 से दिनांक 30-11-2002 तक 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है एवं 1 दिसम्बर, 2002 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अमित अग्रवाल को सूचना प्रौद्योगिकी, बॉयोटेक्नोलॉजी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स के पद पुर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री अमित अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋचा शर्मा, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ 1-20/2002 (6)/11.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.

   (दो) यह नवंबर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जायें. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द ''मध्यप्रदेश'' जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द ''छत्तीसगढ़'' स्थापित किये जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, नियम, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश फर्म्स एवं संस्थाएं (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1988.
2.	मध्यप्रदेश फर्म्स एवं संस्थाएं (तृतीय वर्ग) सेवा भरती नियम, 1993.
3.	मध्यप्रदेश फर्म्स एवं सोसायटीज (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भरती नियम, 1976.

Raipur, the 30th October 2002

No. F 1-20/2002/(6)/11.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000) the State Government hereby makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (i) This order may be called the adaptation of laws order, 2002.

 (ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The laws as amended from time to time, specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh, until repealed or amended. Subject to the modifications that in all the Laws for the word "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, rule, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the Schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

No. (1)	Name of the Laws. (2)
1.	Madhya Pradesh Firms and Societies (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1988.
2.	Madhya Pradesh Firms and Societies (Class III) Service Rrecruitment Rules, 1993.
3.	Madhya Pradesh Firms and Societies (Class IV) Service Recruitment Rules, 1976.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. पाण्डे, संयुक्त सचिव.

ग्रामोद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ 1-29/2002 (6)/52.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.

   (दो) यह नवंबर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जायें. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द ''मध्यप्रदेश'' जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द ''छत्तीसगढ़'' स्थापित किये जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, नियम, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश रेशम उद्योग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1988.
2.	मध्यप्रदेश रेशम उद्योग तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 1991.
3.	मध्यप्रदेश हाथकरघा संचालनालय राजपत्रित सेवा भर्ती नियम, 1986.
4.	मध्यप्रदेश हाथकरघा संचालनालय तृतीय श्रेणी (लिपिकीय वर्गीय) सेवा भरती नियम, 1984.
5.	मध्यप्रदेश हाथकरघा संचालनालय राजपत्रित (अलिपिकीय वर्गीय) सेवा भरती नियम, 1987.

Raipur, the 31st October 2002

No. F 1-29/2002(6)/52.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000) the State Government hereby makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (i) This order may be called the adaptation of laws order, 2002.

(ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The laws as amended from time to time, specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh, until repealed or amended. Subject to the modifications that in all the Laws for the word "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, rule, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the Schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

No. (1)	Name of the Laws (2)
1.	Madhya Pradesh Sericulture (Gazetted) Service Rules, 1988.
2.	Madhya Pradesh Sericulture Class III (Ministerial and Non-ministerial) Service Recruitment Rules, 1991.
3.	Madhya Pradesh Handloom (Gazetted) Service Rules, 1986.
4.	Madhya Pradesh Handloom Class-III (Ministerial) Service Recruitment Rules, 1984.
5.	Madhya Pradesh Handloom (Non-ministerial) Service Recruitment Rules, 1987.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु जी. पिल्ले, संयुक्त सचिव.

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2002

क्रमांक 679/79/आउशि/2002.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो "इण्डियन यूनिवर्सिटी, रायपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

2. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर में होगा.

3. राज्य शासन एतद्द्वारा ''इण्डियन यूनिवर्सिटी, रायपुर'' को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पात्रोपाधि एवं सम्मान देने की मान्यता या अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियम के अंतर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 11th October 2002

No. 679/79/आउशि/2002.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Niji Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/Technical Education in Chhattisgarh, hereby establishes a university known as "Indian University, Raipur" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

2. The Head Office of the University shall be at Raipur.

3. The State Government, hereby, authorises "Indian University, Raipur" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognised or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. त्रिवेदी, सचिव.

आदिमजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2002

क्रमांक डी-5178/2260/सी एम एस/आजाक/2002.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार मण्डल अधिसूचना क्रमांक एफ-1-4/25/आजाक/01, दिनांक 16-1-2001, क्रमांक 2128/2266/आजाक/2001, दिनांक 2-9-2001, क्रमांक 2738/1264/आजाक/2001, दिनांक 11-9-2001, क्रमांक 5806/1959/वीआईपी/आजाक/2001, दिनांक 10-12-2001, क्रमांक 1052/83/वी आई पी/आजाक/2002 एवं क्रमांक 4154/132, 184/सीएमएस/आजाक/2002, दिनांक 12-8-2002 के अनुक्रम में निम्नांकित सदस्यों के नाम जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है :—

क्रमांक (1)	नाम (2)	जाति (3)	पता (4)
1.	श्री जयंत यादव	ठेठवार	पार्षद-केंवटापारा वार्ड, रायगढ़.
2.	श्री सुरेश यदु	यादव	अधिवक्ता-दुर्गा चौक, नयापारा, बलौदा बाजार, जिला-रायपुर.
3.	श्रीमती सुशीला यादव	यादव	लालपुर वार्ड-बागबाहरा, जिला-महासमुंद.
4.	श्री सूरज निर्मलकर	धोबी	दूधाधारी मंदिर मार्ग, मठपारा, रायपुर.
5.	श्री विष्णु निर्मलकर	धोबी	ग्राम-चारभांठा, पो. व जिला-कवर्धा.

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	श्री हेमन्त कुमार निर्मलकर	धोबी	बाबा ड्रायक्लीनर्स, कोतवाली चौक, रायपुर.
7.	श्री जगदीश प्रसाद यादव	यादव	आमीर, निवास, डॉ. राजेन्द्र नगर, रविग्राम, रायपुर.
8.	श्री अरूण यादव	यादव	बजरंग पारा-टाटा लाईन, कोहका भिलाई, जिला-दुर्ग.
9.	श्री विशेश्वर यादव	यादव	उपाध्यक्ष, छ. ग. यादव समाज, डुमरतालाब वि. खं. धरसींवा, रायपुर, छ. ग.
10.	श्रीमती गंगाबाई यादव	यादव	अध्यक्ष, छ. ग., यादव समाज (महिला प्रकोष्ठ) गांधी चौक, रायपुर.
11.	श्रीमती सुनीता अहीर	यादव	ग्राम-उरला, पो. अभनपुर, जिला-रायपुर.
12.	श्री सुरेश यादव	यादव	मु. पो. लखनपुरी, जिला-कांकेर, छ. ग.
13.	इन्जी. हरिश्चन्द्र निषाद	केंवट	संयोजक, छ. ग. सर्व मछुआ महासंघ, प्लाट नं. 73, इंदिरा व्यावसायिक एवं आवासीय परिसर, ट्रान्सपोर्ट नगर, कोरबा.
14.	श्री रघुनाथ प्रसाद सोनी	सोनार	सत्ती बाजार, रायपुर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अवर सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2002

क्रमांक 1913/बी. 11/8/2002/14-2.—भारत सरकार कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 13011/15/99 क्रेडिट-2 दिनांक 16 जुलाई 1999 द्वारा दिये गये अधिकारों को प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत रबी 2002-2003 फसलों के लिए संलग्न सूची के अनुसार तहसीलों की राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. जैन, उप-सचिव.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत मौसम रबी 2002-2003 हेतु फसलवार परिभाषित किये जाने के लिए जिले एवं तहसीलों की सूची.

क्रमांक (1)	फसल का नाम (2)	जिला (3)	परिभाषित तहसील (4)
1.	गेहूं सिंचित (विपुल)	1. कवर्धा	1. कवर्धा 2. पंडरिया
		2. राजनांदगांव	3. डोंगरगांव
		3. महासमुंद	4. महासमुंद
		4. दुर्ग	5. दुर्ग
		5. सरगुजा	6. अंबिकापुर 7. सीतापुर 8. राजपुर 9. सूरजपुर 10. प्रतापपुर 11. लुण्ड्रा 12. पाल (रामानुजगंज) 13. वाड्रफनगर 14. सामरी (कुसमी)
		6. कोरिया (बैकुंठपुर)	15. भरतपुर 16. बैकुंठपुर
		7. बिलासपुर	17. बिलासपुर
2.	गेहूं असिंचित	1. कवर्धा	1. कवर्धा 2. पंडरिया
		2. राजनांदगांव	3. राजनांदगांव 4. डोंगरगढ़ 5. खैरागढ़ 6. छुईखदान
		3. दुर्ग	7. दुर्ग 8. धमधा 9. बेमेतरा 10. बेरला 11. साजा 12. नवागढ़

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	गेहूं असिंचित	4. सरगुजा	13. सूरजपुर
		5. कोरिया (बैकुंठपुर)	14. बैकुंठपुर
			15. मनेन्द्रगढ़
			16. भरतपुर
		6. बिलासपुर	17. पेण्ड्रारोड
			18. मुंगेली
			19. लोरमी
3.	चना	1. रायपुर	1. रायपुर
			2. पलारी
			3. सिमगा
			4. तिलदा
		2. कवर्धा	5. कवर्धा
			6. पण्डरिया
		3. राजनांदगांव	7. राजनांदगांव
			8. डोंगरगढ़
			9. खैरागढ़
			10. छुईखदान
		4. धमतरी	11. कुरूद
		5. दुर्ग	12. दुर्ग
			13. बेमेतरा
			14. बेरला
			15. साजा
			16. नवागढ़
			17. पाटन
		6. सरगुजा	18. सूरजपुर
			19. अंबिकापुर
		7. जशपुरनगर	20. पत्थलगांव
		8. बिलासपुर	21. कोटा
			22. तखतपुर
			23. मुंगेली
			24. लोरमी

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	राई-सरसों	1. कवर्धा	1. कवर्धा
			2. पंडरिया
		2. बस्तर	3. केशकाल
			4. कोंडागांव
			5. जगदलपुर
			6. नारायणपुर
		3. कांकेर	7. अंतागढ़
		4. दंतेवाड़ा	8. कोन्टा
			9. दंतेवाड़ा
		5. कोरबा	10. कटघोरा
		6. कोरिया	11. बैकुंठपुर
			12. मनेन्द्रगढ़
			13. भरतपुर
		7. बिलासपुर	14. पेण्ड्रारोड
		8. जशपुरनगर	15. जशपुरनगर
			16. पत्थलगांव
			17. बगीचा
		9. सरगुजा	18. अंबिकापुर
			19. सीतापुर
			20. राजपुर
			21. सूरजपुर
			22. प्रतापपुर
			23. पाल (रामानुजगंज)
			24. लुण्ड्रा
			25. वाड्रफनगर
			26. सामरी (कुसमी)
5.	अलसी	1. रायपुर	1. राजिम
			2. वृन्दानवागढ़ (गरियाबंद)
		2. कवर्धा	3. कवर्धा
			4. पंडरिया

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	अलसी	3. धमतरी	5. कुरूद
			6. नगरी
		4. राजनांदगांव	7. राजनांदगांव
			8. डोंगरगढ़
			9. खैरागढ़
			10. छुईखदान
			11. डोंगरगांव
			12. मोहला
			13. अंबागढ़ चौकी
		5. कांकेर	14. नरहरपुर
		6. दुर्ग	15. गुंडरदेही
			16. धमधा
			17. डौंडीलोहारा
			18. बेमेतरा
			19. बेरला
			20. साजा
			21. नवागढ़
			22. गुरूर
			23. बालोद
		7. कोरिया (बैकुंठपुर)	24. बैकुंठपुर
		8. सरगुजा	25. अंबिकापुर
			26. सीतापुर
			27. राजपुर
			28. सूरजपुर
			29. प्रतापपुर
			30. लुण्ड्रा
			31. पाल (रामानुजगंज)
			32. वाड्रफनगर
			33. सामरी (कुसमी)
		9. जशपुरनगर	34. पत्थलगांव

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	अलसी	10. बिलासपुर	35. पेण्ड्रारोड 36. कोटा 37. मुंगेली 38. लोरमी
		11. जांजगीर-चांपा	39. जांजगीर
6.	आलू	1. सरगुजा	1. अंबिकापुर 2. सीतापुर 3. सूरजपुर.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ 9-47/गृह/2002.—वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 26 जुलाई 2002 को प्रश्न-पत्र "लेखा प्रश्न-पत्र-2" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	रायपुर संभाग	
1.	श्री उमेश कुमार सिंह	वन क्षेत्रपाल
	बिलासपुर संभाग	
2.	श्री संजय लूथर	वन क्षेत्रपाल
3.	श्री जे. आर. धुर्वे	वन क्षेत्रपाल

रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ 9-66/गृह/2002.—उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जुलाई 2002 को प्रश्न-पत्र ''उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम'' विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्च स्तर **रायपुर संभाग**	
1.	श्री अजित सुंदर बिलुंग	प्रबंधक

रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ 9-82/गृह/2002.—आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 जुलाई 2002 को प्रश्न-पत्र ''समाजशास्त्र'' (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्च स्तर **बिलासपुर संभाग**	
1.	श्री आर. पी. एस. डण्डौलिया	मुख्य कार्यपालन अधिकारी

रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ-9-108/गृह/2002.—सहा. कले., डिप्टी कले., तह., नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहा. अधी. भू-अभि., जिला कार्यालय के अधीक्षक ग्रामीण विकास के विकासखंड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनु. जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, विकासखंड अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के लिये विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 26 जुलाई 2002 को प्रश्न-पत्र ''पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया'' (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	सश्रेय **बिलासपुर संभाग**	
1.	श्री ललित शुक्ला	जिला संयोजक

(1)	(2)	(3)
	उच्च स्तर	
	रायपुर संभाग	
1.	श्री ज्योतराम नागवंशी	जिला संयोजक
2.	श्री दिलीप कुमार अग्रवाल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
3.	श्री दिलीप कुमार कुर्रे	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
4.	श्री साहेब राम टाण्डे	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
5.	श्री ठाकुर राम रात्रे	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख
6.	श्री टेकराम माहेश्वरी	नायब तहसीलदार
7.	श्री भूपेन्द्र कुमार राजपूत	जिला संयोजक
	बस्तर संभाग	
8.	श्री आनन्द जी सिंह	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
9.	श्री कृष्ण कुमार पाबिया	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
10.	श्री गणेशराम अजगल्ले	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
11.	श्री सोनदास बंजारे	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
12.	श्री आर. के. शर्मा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
	बिलासपुर संभाग	
13.	कु. शहला निगार	सहायक कलेक्टर
14.	श्री संजय कुमार अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर
15.	श्री आर. बी. एस. डण्डौलिया	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
16.	श्री सागर चन्द गुप्ता	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
17.	श्री कृष्ण कुमार सोनी	अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त
18.	श्री पी. एस. सेंगर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
19.	श्री पारसराम पैकरा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
20.	श्री संजय कुमार सिंह	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
21.	श्री भुवनलाल बंजारे	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
22.	श्री अमरचंद बर्मन	जिला संयोजक

(1)	(2)	(3)
23.	श्री हरिराम सिदार	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
	निम्न स्तर रायपुर संभाग	
1.	श्री अंगदराम धालेन	नायब तहसीलदार
2.	श्री रामप्रसाद आचला	नायब तहसीलदार
3.	श्री हर्ष वर्धन सिंह	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख
	बिलासपुर संभाग	
4.	श्री साहेबलाल मरकाम	नायब तहसीलदार
5.	श्री हेम नारायण सिंह ध्रुवा	सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख
6.	श्री तीजराम चौहान	सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख
7.	श्री चमारसिंह पैकरा	नायब तहसीलदार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 2 मई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्र. -906/अ-82/सन् 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	चांटीपाली प. ह. नं. 38	0.146	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कटंगी जलाशय के नहर निर्माण में भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 मई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 909/अ-82/सन् 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	चांटीपाली प. ह. नं. 38	0.081	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कटंगी जलाशय के नहर निर्माण में भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 मई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 910/अ-82/सन् 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	चांटीपाली प. ह. नं. 38	0.625	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कटंगी जलाशय के नहर निर्माण में भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. ध्रुव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुंद, दिनांक 23 अक्टूबर 2002

क्रमांक 459/अ.वि.अ./भू-अर्जन/07/अ-82/सन् 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	पड़कीपाली प. ह. नं. 118/65	0.74	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद.	चंडी डोंगरी जलाशय के अंतर्गत दायीं मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 23 अक्टूबर 2002

क्रमांक 460/अ.वि.अ./भू-अर्जन/14/अ-82/सन् 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	खट्टी प. ह. नं. 130	1.75	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	केशवा नाला व्यपवर्तन योजना अंतर्गत खट्टी माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 24 अक्टूबर 2002

क्रमांक 467/अ.वि.अ./भू-अर्जन/7/अ-82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	खट्टी प. ह. नं. 113/60	6.62	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद.	अपर जोक परियोजना अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 24 अक्टूबर 2002

क्रमांक 468/अ.वि.अ./भू-अर्जन/5/अ-82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	सेनभाठा प. ह. नं. 113	1.86	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद.	अपर जोंक परियोजना अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 24 अक्टूबर 2002

क्रमांक 472/अ.वि.अ./भू-अर्जन/13/अ-82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	खट्टी प. ह. नं. 130	13.40	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	केशवा नाला व्यपवर्तन योजना अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

क्रमांक 473/अ.वि.अ./भू-अर्जन/3/अ-82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	पोटिया प. ह. नं. 129	7.70	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	केशवा नाला व्यपवर्तन योजनांतर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

क्रमांक 474/अ.वि.अ./भू-अर्जन/8/अ-82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिएं प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	पंडरीपानी प. ह. नं. 113	14.69	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद.	अपर जोंक परियोजना अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिन्दर कौर द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 30 मई 2002

रा.प्र.क्र./22/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	राजपुर	आरा	0.121	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, अंबिकापुर.	गागर व्यपवर्तन योजनांतर्गत नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 अक्टूबर 2002

रा.प्र.क्र./05/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	लवईडीह	6.122	कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर संभाग अंबिकापुर.	श्याम घुनघुट्टा परि-योजनांतर्गत फुलटैंक लेबल के डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 अक्टूबर 2002

रा.प्र.क्र./06/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	लवईडीह	4.087	कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर संभाग अंबिकापुर.	श्याम घुनघुट्टा मध्यम परियोजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 अक्टूबर 2002

रा.प्र.क्र./07/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	नौगई	0.044	कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर संभाग अंबिकापुर.	बरनई परियोजना के महुआ-टिकरा माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 अक्टूबर 2002

रा.प्र.क्र./08/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	दरिमा	2.193	कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर संभाग अंबिकापुर.	बरनई परियोजना के दरिमा वितरक नहर के दरिमा माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 अक्टूबर 2002

रा.प्र.क्र./09/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	टपरकेला	19.898	कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर संभाग अंबिकापुर.	श्याम घुनघुट्टा मध्यम परियोजना के फुलटैंक लेबिल के अतिरिक्त डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 अक्टूबर 2002

रा.प्र.क्र./10/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	अड़ची	0.909	कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर संभाग अंबिकापुर.	श्याम घुनघुट्टा मध्यम परियोजना के फुलटैंक लेबिल के अतिरिक्त डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 अक्टूबर 2002

रा.प्र.क्र./11/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	नवानगर	5.277	कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर संभाग अंबिकापुर.	श्याम घुनघुट्टा मध्यम परियोजना के फुलटैंक लेबिल के अतिरिक्त डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 अक्टूबर 2002

रा.प्र.क्र./12/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	करैंया	8.994	कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर संभाग अंबिकापुर.	श्याम घुनघुट्टा परियोजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 अक्टूबर 2002

रा.प्र.क्र./13/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	सकालो , सरगंवां	0.234 0.797	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1, अंबिकापुर.	सकालो तालाब के बांध लाईन डूबान क्षेत्र एवं स्पिल चैनल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 31 अक्टूबर 2002

रा.प्र.क्र./01/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	पिऊरी	17.34	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर.	पिऊरी जलाशय के डूबान क्षेत्र एवं स्पिल चैनल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 31 अक्टूबर 2002

रा.प्र.क्र./02/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	परसिया	1.76	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर.	बैजनाथपुर जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 31 अक्टूबर 2002

रा.प्र.क्र./03/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	बैजनाथपुर	0.20	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर.	बैजनाथपुर जलाशय के वेस्ट वियर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 31 अक्टूबर 2002

रा.प्र.क्र./04/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	बैजनाथपुर	0.40	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर	बैजनाथपुर जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 1/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	बालाझर	19.103	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	तमता जलाशय योजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 2/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	चंदागढ़	0.547	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	तमता मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 3/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	पंडरीपानी	0.205	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	तमता मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 4/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	बालाझर	0.868	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	तमता मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 5/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	तमता	1.244	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	तमता शाखा नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 6/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	चंदागढ़	0.782	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	चंदागढ़ शाखा नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 7/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	पंडरीपानी	0.862	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	पंडरीपानी शाखा नहर नं. 1 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 8/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	पंडरीपानी	1.455	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	पंडरीपानी शाखा नहर नं. 2 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्र.9/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	कुड़केल खजरी	1.810	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	कुड़केल शाखा नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 10/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	कुड़केल खजरी	2.981	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	टेल शाखा नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 29 अक्टूबर 2002

क्रमांक 16/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)
  (ख) तहसील-खरसिया
  (ग) नगर/ग्राम-मकरी, प. ह. नं. 10
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.150 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
44	0.280
45	0.060
50	
46	0.070
47	0.190
48	0.550
योग 5	1.150

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 अक्टूबर 2002

क्रमांक 17/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-तेलीकोट, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.283 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3	0.101
4	0.140
5	0.081
53	0.470
54	0.180
55	0.100
56	0.145
60	0.172
68	0.430
67	0.641
81	0.070
87	0.160
88	0.008
86	0.245
85	0.056
84	0.014
83	0.200
82	0.004
89	0.065
99	0.060
97	0.610
98	0.110
100	0.115
426	0.255
425	0.090
424	0.050
427	0.080
428	0.182
423	0.004
429	0.135
430	0.360
436	
431	0.145
434	0.008
435	0.500
437	0.221
438	0.014
439	0.060
440	0.020
454	0.036
455	0.008
453	0.300
452	0.290
451	0.008
450	0.648
443/1	0.279
443/2	0.024
444	0.115
57	0.172
59	0.102
योग 49	8.283

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 अक्टूबर 2002

क्रमांक 18/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-रतन महका, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.812 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
90	0.057
109	0.343
111	0.060
117	0.128
118	0.210
119	0.113
120	0.200
121	0.220
122	0.048
143	0.070
144	0.200
145	0.395
146	0.110
147	0.350
148	0.133
150	0.145
287	1.030
योग 17	3.812

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 अक्टूबर 2002

क्रमांक 19/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-औरदा, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.548 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
232	0.400
233	0.004
234	0.430
235	0.140
236	0.100
245	0.057
248	0.920
250	0.940
252	0.030
253	0.057
254	0.350
255	0.120
योग 12	3.548

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 अक्टूबर 2002

क्रमांक 20/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-आमाडोल, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.400 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
7/4	0.020
7/5	0.008
8/4	0.057
10/4	0.065
37	0.189
38	0.134
39/1	0.075
39/2	0.247
40/2	0.032
36/1	0.490
36/2	
43	0.101
44	0.081
45	0.235
46	0.089
57	0.801
66	0.080
65/1	0.227
65/2	0.150
64/2	0.036
64/3	0.077
63/3	0.150
64/4	
64/5	0.004
48	0.008
63/3	0.008
75	0.024
56	0.012
योग 26	3.400

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 अक्टूबर 2002

क्रमांक 21/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-ठुसेकेला, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.566 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1	0.117
1/2	0.231
1/5	
11	0.053
1/3	0.057
9	0.312
15	

(1)	(2)
16	0.032
10	0.506
13	0.222
14	0.036
योग 9	1.566

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 अक्टूबर 2002

क्रमांक 22/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-बोतल्दा, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-14.807 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
35/2	0.012
36	0.650
37/1	0.231
37/2	0.110
37/3	0.170
37/4	0.170
37/6	0.182
43/1	0.121
37/5 43/2	0.230
43/3	0.160
44	0.020
41/2	0.101
46/2	0.360
46/1	0.194
128/1	0.105
129/3	0.190
139/1, 2	0.587
138	0.850
133	0.198
134/2	0.049
132	0.150
131	1.031
158/3	0.081
159/1	0.316
161	1.314
164	0.143
167	0.435
166	0.240
163	0.030
165	0.923
349/1	0.194
349/2	0.160
349/3	0.020
351/1 ज	0.030
351/च	0.540
351/1 ग	0.328
352	0.081
353/1	1.065
354/1	0.130
354/2	0.210
343/4	0.115
344	0.860
341/9	0.053
355/1	0.510
355/2	0.255
355/3	0.310
341/7	0.113

(1)	(2)
335/7	0.480
योग ५८	14.807

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 अक्टूबर 2002

क्रमांक 23/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-पलगढा, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.346 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3	0.089
4, 5	0.016
2/1	0.024
2/2	0.514
10	0.036
11/2	0.336
11/1	0.466
14/7, 148	0.291
149	0.607
151, 152, 153	0.081
150	0.227
154, 156	0.093
155	0.012
157	0.659
292	0.024
297	0.138
293	0.045
294	0.061
295, 296	0.081
283/362	0.263
326/2	0.486
326/1 क	0.190
336	0.040
335	0.089
334	0.324
333/1	0.150
333/2	0.065
332, 351, 357	0.664
355	0.073
354	0.514
353	0.049
352	0.024
351/1	0.186
351/2	0.162
361	0.267
योग 35	7.346

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 अक्टूबर 2002

क्रमांक 24/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-बरगढ़, प. ह. नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.036 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
49	0.140
75	0.121
82/2 घ	0.550
101	0.130
100	0.474
99	0.081
98	0.081
96	0.109
95	0.142
94	0.980
176	0.008
177	0.263
178	0.290
196	0.465
197	0.140
198	0.050
212	0.004
213	0.032
214	0.230
215	0.080
216	0.060
217	0.250
220	0.049
221	0.158
222	0.200
223	0.404
224	
195	1.545
योग २७	7.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 अक्टूबर 2002

क्रमांक 25/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-उल्दा, प. ह. नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.447 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
240	0.114
239	0.069
238	0.016
237	0.219
242	0.328

(1)	(2)
232	0.364
230	0.251
12	0.231
13	0.089
14	0.400
20	0.270
178	0.333
177	0.080
176	0.095
175	0.030
174	0.008
173	0.008
172	0.097
171	0.097
170	0.016
35	0.230
36	0.085
37	0.330
38	0.190
41	0.180
42	0.220
43	0.016
44	0.093
45	0.008
52	0.330
53	0.048
51	0.085
57	0.090
50	0.137
59	0.049
60	0.170
61	0.138
62	0.211
81	0.158
64	0.004
542/87	0.140
94	0.024
93	0.069
91	0.220
92	0.101
101	0.074
102	0.110
113	0.308
100	0.121
120	0.045
122	0.215
123	0.032
121	0.101
योग 53	7.447

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 अक्टूबर 2002

क्रमांक 26/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-खरसिया, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.779 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
201/1	0.880
201/2	0.323
201/3	0.100
200/2	0.036

(1)	(2)
202	0.140
203	0.860
232	0.300
235	0.140
योग 8	2.779

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 अक्टूबर 2002

क्रमांक 27/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-छोटे देवगांव प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.188 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
86	0.135
87	0.004
84/1	0.040
6	0.101
80, 82/2	0.245
81	0.008
20	0.485
17/2	0.040
18	0.130
योग 9	1.188

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 अक्टूबर 2002

क्रमांक 28/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-पतरापाली, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.760 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
8/1, 12/1	1.450
9	0.270
12/3, 13/11, 26/1 ख, 60	0.036
13/2	0.283
61/1	0.004

(1)	(2)
59/2	0.049
59/1	0.020
59/3	0.234
37/2	0.004
37/1	0.095
37/3	0.101
38/2	0.004
38/3	0.004
38/1	0.004
39/2	0.101
56/2	0.085
42, 218/2	0.614
44/1	0.040
45/1	0.036
216	0.081
217	0.133
220	0.097
212	0.316
221	
222	
211	0.206
223	0.008
228/1	0.190
229/1, 3	0.024
229/2	0.053
234/2	0.032
234/1, 282	0.353
239/1	0.012
275/1	0.004
275/3	0.250
276/1	0.210
274	0.097
273	0.057
269	0.809
264	0.008
265	0.036
266	0.328
267	0.040
268	0.008
349	0.004
348/1	0.028
347/2	0.036
347/1	0.389

(1)	(2)
343	0.004
345	0.202
346/441	0.332
372	0.304
371	0.081
374/1	0.101
370/1	0.121
369/1	0.016
368/2	1.036
368/1	0.150
377	1.036
379	0.040
48/1	0.024
3/2, 4, 5, 6/1, 7/1	0.028
6/6	0.024
11	0.004
263	0.012
344	0.008
योग 64	9.760

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरसिया नहर शाखा हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 अक्टूबर 2002

क्रमांक 29/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-मकरी, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.382 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
246	0.125
247/3	0.330
247/2	0.089
248	0.230
254	0.113
255	0.240
256/1	0.080
249/1	0.175
योग 8	1.382

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना,सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 अक्टूबर 2002

क्रमांक 30/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-गोपी महका, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.413 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
51	0.008
52, 55	0.202
53, 54	0.085
66	0.190
58	0.060
64, 65	0.365
59	0.397
60	0.016
95	0.040
96	0.300
102/1	0.445
102/2	0.243
103	0.050
105	0.004
106	1.000
107	0.008
योग 8	3.413

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अक्टूबर 2002

क्रमांक 678/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-ओडेकेरा, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.036 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
562	0.037
563	0.012
561	0.085
560	0.085
559/2	0.190
557	0.089
559/1	0.004
556/1	0.243
556/2	0.020
552/4	0.037
550/1	0.101
572	0.097
573	0.020
575	0.004
574	0.162
576	0.129
601/1	0.040
601/2	0.101
601/3	0.105
601/4	0.101
602	0.081
636/2	0.089
636/1	0.166
633/1	0.150
629	0.004
630	0.141
624/1	0.016
624/2	0.181
615	0.081
616	
614	0.008
692	0.056
806	0.242
804	0.053
805	
803	0.061
800	0.057
810	0.049
799/1	0.049
799/2	
798	0.008
(1)	(2)
797	0.008
792	0.230
790	0.137
791	0.016
789	0.008
2184	0.008
2185	0.028
2181	0.016
2180	0.049
2206	0.061
2207	
2179	0.040
2209	0.004
2210	0.024
2211	0.028
2212	0.049
2213	0.040
2214	0.004
2167	0.024
2165	0.296
2163	
2162	0.129
2396	0.020
2349	0.081
2447/2	0.534
2450	
2453	
2456/2	0.101
2612	0.041
2611	0.028
2620	
2621	
2622	
2172	0.004
2610	0.081
2627	0.233
2632	0.049
2633/1	0.049
2633/2	0.061
2633/3	0.061
2638	0.121
2645	0.008
2640	0.053

(1)	(2)
2642	0.069
2643	0.024
2641	0.061
2637	0.004
योग 80	6.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-"टर्नकी" बरदुली वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अक्टूबर 2002

क्रमांक 679/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-पोता (भाग 2), प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-13.053 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
237	1.056
229	3.336
263	0.840
262	2.123
289	0.045
283	0.525
284	0.050
285	0.032
286	0.085
334	0.450
333	0.250
331	0.028
332	0.163
335	0.040
885	0.380
689	0.173
690	0.307
812	1.050
673	1.130
685/1	0.250
685/2	0.320
684	0.420
योग 22	13.053

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरदा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अक्टूबर 2002

क्रमांक 680/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-कलमी, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.161 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
178	1.161
181	0.120
179	0.195
176	0.149
177	0.020
175	0.036
192	0.165
193	0.121
194	0.202
195	0.137
197	0.185
207	0.020
208	
206	0.004
205	0.030
204	0.068
203	0.060
212	0.093
213	0.100
211	0.060
214	0.024
216/4	0.064
216/3	0.135
955	
216/2	0.056
219	0.140
220	0.024
227	0.502
167/3	0.024
223/4	0.008
223/2	0.008
223/5	0.004
240	0.016
226/3	0.012
226/1	0.012
226/2	0.032
241/1	0.008
241/2	0.035
241/3	0.012
242	0.174
511/1	0.020

(1)	(2)
511/2	0.105
510/1	0.049
516/1	0.215
517/1 त्र	0.130
496/2	0.113
496/1	0.101
495	0.240
494	0.170
493/1	
486	0.093
487	0.125
489	0.030
485	0.089
484	0.080
483	0.110
482	0.089
481	0.024
480	0.020
478	0.004
479	0.012
476	0.110
469	0.004
474	0.100
473	0.012
471	0.040
472	0.036
470	0.101
467	0.100
468	0.012
463	0.275
465	0.060
454	0.225
455	
453/1	2.417
453/3	
453/2	
453/12	
453/11	
453/10	
453/9	
453/13	
453/4	
453/5	

(1)	(2)
722/2 ग	0.024
722/2 क	0.010
722/1 क	0.242
722/1 ख	0.345
723	0.097
725	0.065
730/1	0.072
730/2	0.230
730/3	0.024
731	0.105
729	0.420
योग 82	10.161

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरदा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अक्टूबर 2002

क्रमांक 681/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम-देवरघटा, प. ह. नं. 1
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.554 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
338	0.300
336	0.870
324/1	0.109
325	0.090
337	0.185
योग 5	1.554

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धुरकोट उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अक्टूबर 2002

क्रमांक 682/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-काशीगढ़, प. ह. नं. 9
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.665 हेक्टेयर

खसरा नम्बर		रकबा (हेक्टेयर में)
(1)		(2)
841	3	0.097
842		
846		
841	4	0.097
842		
846		
840/5		0.049

(1)	(2)
840/7	0.101
871	0.053
872	0.040
873	0.004
870	0.028
874	0.105
869/2	0.008
869/3	0.012
875	0.121
833	0.004
832	0.004
831	0.004
829	0.040
912	0.061
913	0.089
914	
915/2	
915/1	0.008
916/1	0.032
916/2	0.008
918/1	0.004
918/2	0.008
920	0.008
919	0.028
810/1	0.020
600/2	0.020
600/1	0.028
599	0.012
602	0.040
603/1	0.016
603/2	0.008
604/2	0.040
605/2	
606/1	0.040
610/1	0.004
611	0.004
615	0.020
612	0.040
589/1	0.057
677	0.012
678	0.020
679	0.016
680	0.012
682	0.008
686	0.004
687	0.008

(1)	(2)
689	0.016
692	0.008
693	0.008
694	0.008
701	0.008
702	0.008
703	0.008
705	0.004
706	0.008
431/16	0.028
431/17	0.049
431/12	0.061
431/11	0.016
431/6	0.028
431/5	0.150
459	0.020
432	0.024
431/1	0.057
440	0.061
441	0.008
439/1	0.008
414	0.049
415	
146	
392/1	0.004
393	0.040
394	0.020
395	0.012
396	0.081
403/1, 2	0.016
404	0.045
350	0.024
3463	0.012
3464	0.020
3465	0.040
3466	0.016
3477	0.008
3479	0.020
3482	0.008
3483	0.028
3484	0.004
3467	0.012

	(1)	(2)
	3322/5	0.028
	3322/4	0.004
	3500/3	0.020
	431/15	0.004
	586	0.073
	405	0.004
	5196	0.045
योग	93	2.665

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-काशीगढ़ सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2002

क्रमांक 1319/वा-1/भू-अर्जन/44/अ-82/93-94.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-देवभोग
(ग) नगर/ग्राम-कदलीमुड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-18.59 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
364/8	0.26
364/4	1.60
367/7	
369/2	
370/6	
367/1	0.05
343/7	0.45
343/6	0.42
364/3	0.20
367/5	
370/5	
364/7	
370/8	
359/5	1.25
360	
363	
373/10	0.15
363/11	
350/6	1.00
357/2	
349	0.85
350/5	
350/8	
350/9	
291/2	0.15
346/1	
347/4	0.75
347/5	0.15
347/8	0.55
347/3	0.25
346/4	0.14
345/5	0.30
345/6	1.10
346/5	
305/6	0.19
304	1.11
305/3	0.20
303	0.90
305/2	
305/8	0.84
305/5	0.55

(1)	(2)
313	0.66
355/1	0.46
275	0.18
288/2	1.10
222/1	0.76
208/6	0.55
222/2	
350/13	0.75
350/14	0.60
345/8	0.52
350/7	0.18
357/6	0.17
योग	18.59

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-उरमाल इन्डेंशन योजना के नहर निर्माण कार्य के लिये.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2002

क्रमांक 1321/वा-1/भू-अर्जन/45/अ-82/93-94.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-देवभोग
- (ग) नगर/ग्राम-सितलीजोर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.36 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
139	0.80
215	0.50
216	
217	
205	0.42
206	
215	
207	0.15
208	
211	
210	0.29
212/4	1.15
212/3	0.90
247/2	
212/1	0.24
247/2	
443	0.04
448	0.80
483/2	0.25
481	2.20
482	0.75
475	0.17
450	0.90
453/2	1:10
454/1	1.58
480	
455	0.02
452/1	0.45
166/30	0.65
योग	12.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-उरमाल इन्डेंशन योजना के नहर निर्माण कार्य के लिये.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/6/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-चिकनीडीह, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.756 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
438/1	0.016
438/2	0.024
432	0.036
436/1	0.020
423	0.024
408	0.020
436/2	0.004
367/5	0.028
431	0.032
383/1	0.020
383/2	0.028
381	0.020
430	0.016
429/1	0.020
422/2	0.032
422/1 422/3	0.012
390	0.004
409	0.036
407	0.004
421	0.008
405	0.041
368	0.078
392	0.020
391	0.040
382	0.004
367/4	0.020
367/2	0.008
374	0.020
437	0.121
योग 29	0.756

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जोंक व्यपवर्तन योजना वितरक शाखा क्रमांक 24 का निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/7 / अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सलौनीकला, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.856 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1262/3 1262/4	0.016
1369/2	0.007
1368/1 + 2	0.030
1366	0.036
1365/2	0.041
1364	0.016
1263/2	0.008
1263/1	0.012
1264	0.041
1265	0.032
1268	0.016
1266/1	0.028
1266/2	0.028
1267	0.072
1255/2	0.032
1255/1	0.041
1242/2 क	0.012
1242/4	0.020
1242/2 ख 1242/3	0.061
1243/3	0.016
1243/2	0.065

(1)	(2)
1238/2	0.033
1238/3	0.056
1237	0.012
1239	0.004
1219/1	0.081
1236	0.012
1235	0.012
1234/1	0.016
योग 29	0.856

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जोंक व्यपवर्तन योजना वितरक शाखा क्रमांक 23 का निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/25/ अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गिरवानी, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.796 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
378	0.069
380	0.084
381	0.018
382/1	0.053
391/2	0.194
423/2	0.081
379/1	0.012
392	0.005
393	0.028
394	0.069
396/1	0.049
396/2	0.022
395	0.032
812/6	0.097
812/9	0.045
812/1	0.045
812/2	0.061
812/7	
812/8	
808/3	0.101
808/4	0.008
814	0.008
952	0.016
798/1	0.045
798/2	0.081
824	0.036
825/1	0.028
822	0.057
954/3	0.050
954/7	0.004
954/2	0.004
954/11	0.004
954/8	0.024
954/10	0.036
954/1	0.036
953/1	0.036
953/2	0.037
951/2	0.024
831/2	0.028
937/2	0.024
939	0.114
932/3	0.004
940/1	0.012
930/1-2	0.004
941/1-2	0.012
योग 43	1.796

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जोंक व्यपवर्तन योजना वितरक शाखा क्रमांक 21 का निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/26/ अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सलौनीकला, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.226 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
135	0.097
133/2	0.012
133/1	0.020
132/2	0.072
132/4	0.028
132/5	0.045
131/1	0.016
131/2	0.109
62/3	0.049
62/4	0.024
55/1	0.237
56/1	0.025
54	0.105
53/1	0.081
53/4	0.081
3/1	0.061
4	0.123
5	0.041
योग 18	1.226

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जोंक व्यपवर्तन योजना वितरक शाखा क्रमांक 21 का निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/27/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सलौनीखुर्द, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.168 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
360/1	0.008
360/2	0.070
360/3	0.069
361	0.024
357/1	0.057
350	0.160
351	0.008
349/1	0.008
348	0.081
349/2	0.074

(1)	(2)
349/3	0.045
347	0.032
335/1	0.018
335/2	0.018
342	0.008
146/12	0.056
339/3	0.020
334/2	0.018
372	0.053
371	0.033
373	0.029
391/1	
341	0.081
340/2	0.016
340/3	0.016
336	0.008
339/2	0.041
339/1	0.020
338	0.008
107/1	0.004
333	0.040
100/1	0.008
150/1	0.061
334/1	0.018
107/2	0.012
106/2	0.076
108/1	0.162
106/1	0.012
100/2	0.020
132/4	0.041
116/1	0.144
116/2	0.012
117/3	0.004
117/4	0.073
146/13	0.028
153/3	0.004
153/2	0.012
153/1	0.016
153/4	0.004
154	0.041
128/1	0.069
149	0.004
132/1	0.008
129/2	0.061
128/2	0.061
129/1	0.025
360/4	0.069
योग 56	2.168

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जोंक व्यपवर्तन योजना वितरक शाखा क्रमांक 21 का निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/28/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सलिहा, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.580 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
522/4	0.033
696/1	0.033
692	0.008
693	0.056
694	0.061
702/1	0.057

(1)	(2)
702/2	0.049
691	0.061
688	0.053
703	0.016
689/1	0.039
689/2	0.038
690	0.008
527	0.044
682	0.024
योग 15	0.580

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जोंक व्यपवर्तन योजना वितरक शाखा क्रमांक 21 का निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2002

संशोधन

क्रमांक/भू-अ./अ.वि.अ./2002.—एन.टी.पी.सी. सीपत के अंतर्गत, रेल्वे सायडिंग के अंतर्गत ग्राम-गतौरा, तहसील मस्तूरी, जिला बिलासपुर की धारा 6 की राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना, दिनांक 1 नवम्बर 2002 में निम्नलिखित संशोधन की जाती है.

पूर्व में प्रकाशित

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
276/7	0.60

वर्तमान में संशोधित

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
279/7	0.60

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.